

अपील सूचना अधिकार संख्या 89/2019 (RCMS 2019/00237) अनवान् मूल सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह C/o जी के राठौड़, निवासी 79 हनुवन्त बी, सेक्टर बी, बी. जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर-342006 (मोबाईल नं. 98293-10313) बनास उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

12.02.2020



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मूल सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए प्रत्यर्थी से उसे शास्ति प्रदान कराई जावे एवं उसे लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड घड़साना से निःशुल्क वांछित सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मूल सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2019 को प्रस्तुत करके निम्न सूचनाएं चाही थी :

श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 20.08.2109 आप स्वयं को दिनांक 20.08.2019 को 3 पेज के प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम रोजडी के गढ पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर पट्टा बनाने को रोकने हेतु था।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आप श्रीमान् द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की, की गई। सम्पूर्ण कार्यवाहीयां की फोटो प्रदान करें।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/19/1373 दिनांक 14.11.2019, स्मरण पत्र 1550/17.12.2019, 160/20.01.2020 से अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील के सम्बन्ध में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता हो कि अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है और न ही इस न्यायालय को उक्त अपील का कोई जवाब प्रस्तुत किया है। जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये हैं:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप-धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं अगर देय है तो नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाये अन्यथा देय न होने पर उक्त आदेश प्राप्ति के सात दिवस में प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरन्त तकनील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर